संख्या-11/2017/212(2)/60-2-17-2/3(12)07 टी.सी.

**प्रेषक,**

**भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 3 मार्च, 2017

**विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1166/बा.वि.परि./निर्माण/2016-17 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के पत्र संख्या-278/175/2016, दिनांक 11.01.2017 व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के पत्र संख्या-278/292/2017 दिनांक 20.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 46.00 करोड़ (रूपये छियालिस करोड़ मात्र) में से रूपये 2.00 लाख प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण की दर से 2200 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रुपये 4400.00 लाख एवं लवणीय मृदा हेतु प्रस्तावित 264 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर रूपये 63.36 लाख अतिरिक्त व्यय अर्थात कुल रूपये 4463.36 लाख (रुपये चौवालिस करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैंः-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि, इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
7. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही की जाय।
8. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आंगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण हेतु आवश्यक भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है।
10. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।
11. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

3. प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेस के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उक्त स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक ''4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के060/रा040-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)**
उप सचिव

**<u>संख्या-11/2017/212(3)/60-2-2017, तददिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेस् के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेस् के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
10. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(शिवराज कुमार यादव)**

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।